न्यायालय सी0जे0एम0 हाथरस
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–1315 / 12 / 2022
कम्प्यूटर वाद संख्या–1449 / 2022
रनवीर बनाम रितिक शर्मा
थाना–हाथरस गेट

(CNR NO. UPHT 040161752022)

दिनॉक 25.01.2023

प्रार्थनापत्र आदेशार्थ पेश हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

आवेदक ने प्रार्थनापत्र धारा 156(3) द0प्र0स0 पर बल देते हुये कथन किया है कि प्रार्थी के पुत्र विशाल उम्र करीब 17 वर्ष अवयस्क का दोस्त रितिक शर्मा पुत्र अरविन्द कुमार शर्मा का मेरे घर आना जाना था तथा मेरे पुत्र को रितिक शर्मा उसकी किशोर अवस्था का लाभ उठाकर व अपने मोहजाल में फंसाकर मेरे पुत्र से मेरे घरेलू सामान सोने चॉदी के आभूषण चार अंगूठी सोने की, एक जोड़ी झाले व कुण्डल सोने के दो जोड़ी तोडिया चूदी की दिनांक 28.11.2022 को मेरे पुत्र विशाल से मेरे घर से निकलवा कर अपनी दुकान स्थित गुडिहाई बाजार हाथरस में मंगा लिया और मेरे सोने व चॉदी के आभूषणों को अपने कब्जे में कर लिया है जब इस बाबत मेरे पुत्र ने मुझको बताया। मैं दिनांक 01.12.2022 समय करीब 10.00 बजे दुकान स्थित गुडिहाई बाजार हाथरस अरविन्द बौहरे सर्राफ पर पहुंचा तो अपने आभूषणों के बारे में बातचीत कर कहा कि आपने मेरे पुत्र की किशोरावस्था का लाभ उठाकर आपके द्वारा मेरे आभूषणों को अपनी दुकान पर बेचने के उददेश्य से क्यो मंगा लिया है तथा बेईमानी से हड़प कर हजम कर लिया है तो इसी बात पर उक्त रितिक ने प्रार्थी को अपनी दुकान के सामने जमीन पर गिराकर थाप, थप्पड़ो व घूसों से बुरी तरह से मारापीटा और कहा कि साले अगर तू अपने जेवरातो को मुझसे मांगने आया तो तुझे जान से मार दूंगा। मौके पर नरेश गोस्वामी व सुरेन्द्र गोस्वामी आ गये जिन्होंने घटना देखी व बचाया। आवेदक ने इन्ही सब आधारों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का निवेदन किया है।

थाना से आख्या आहूत की गयी । थाना आख्यानुसार घटना के सम्बन्ध में कोई अभियोग दर्ज नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी विपक्षी को जानता है। प्रार्थी इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के आधार पर तथा मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य ए0सी0सी0 2001 –50 एवं सुखवासी बनाम उ0प्र0राज्य ए0सी0सी0 2007(59)–739 खण्डपीठ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सुरेशचन्द जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य आदि ए0सी0सी0 2001(42)–956, मुहम्मद युसुफ बनाम अफाक जहॉ आदि ए0आई0आर0 2006 एच0सी0डब्लू0 पेज–95 एवं लल्लन चौधरी बनाम बिहार राज्य आदि जे0आई0सी0 2007(1) –87 प्रतिपादित सिद्धान्त एवं प्रकट किये गये विधिक मत के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान प्रार्थी /परिवादिनी बयान धारा 200 द0प्र0स0 दिनॉक 24.03.2023 को पेश हो।

(नम्रता शर्मा)
सी0जे0एम0 हाथरस
25.01.2023